

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 24, 1973/कार्तिक 2, 1895

No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 1973/KARTIKA, 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 24th October 1973

S.O 663(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 3981, dated the 22nd December, 1965, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade Nos. S. O. 3495, dated the 24th October, 1970 and S.O. 5535, dated the 20th December, 1971, and in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 523(E) dated the 27th September, 1973, the management of the industrial undertaking known as Muir Mills Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 21st December, 1974;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 681(E)/18FB/IDRA/72 dated the 25th October, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause

(b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to Banks and financial institutions and statutory liabilities payable to workers) to which the industrial undertaking known as the Muir Mills Limited, Kanpur or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year.

[No. F. 11021/59/72-NTC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1973

का० आ० 663 (प्र):—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3495, तारीख 24 अक्तूबर, 1970 तथा का० आ० 5535, तारीख 20 दिसम्बर, 1971 तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 523 (ई) तारीख 27 सितम्बर, 1973 के साथ पठित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3981, तारीख 22 दिसम्बर, 1965 द्वारा म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के अधीन 21 दिसम्बर, 1974 जिसमें यह दिन सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया है।

और यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 681 (ई)/18 एफ़/बी/आई डी आर ए/72 तारीख 25 अक्तूबर 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18(ब) (ख) की उपधारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिशत दायित्व से सम्बन्धित, सांविधिक देयताएँ जो कर्मचारियों को दी जानी हैं से भिन्न) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या लिखितों का प्रवर्तन जिनका म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर, नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वाली कोई कम्पनी

पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, वधनार्य और दायित्व उक्त अवधि के लिए निरन्तर रहेगा ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ।

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 (ब) (ख) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त आदेश की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाती है ।

[सं० फा० 11021/59/72—एन टी सी]

डॉ० के० मकसेना, संयुक्त सचिव ।

